राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–832 / 2024

लल्लू राम मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, अलवर, राजस्था।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश लाम्बा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज थानागाजी, उप वन संरक्षक, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पर्यटन, उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का में किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किया गया है, क्योंकि स्थानान्तरण नीतियों के तहत अपीलार्थी को दो वर्ष तक उसी स्थान पर पदस्थापित रखना था। अपीलार्थी का दो वर्ष पूर्व ही स्थानान्तरण किया जाना नीति विरूद्ध है। अपीलार्थी का आगे तर्क है कि समान मामले में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 15085 / 2021 कानसिंह राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 में नीति विरूद्ध स्थानान्तरण किये जाने के आधार पर स्थगन आदेश पारित किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दिनांक 26.06.2022 से पदस्थापित है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान पद पर वर्ष 8 माह पदस्थापित रखने के पश्चात ही अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित में किया गया है। वन विभाग की स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में पॉलिसी दिनांक 20.04.2011 अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह भी प्रावधान है कि उसे विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्यकर्मी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कभी भी करता सकता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित में किया गया है तो यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण नीति के विरूद्ध जाकर स्थानांतरण किया गया हो। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2021 को इस प्रकरण में लागू नहीं होता हैं। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य(न्यायिक)